न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 714/2024

अनवान : –

1. सिलोचना उर्फ शीला पुत्री पप्पू पुत्र काशीराम पत्नी गोपाल जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स0 1 गांधी नगर नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. पालाराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बीमा पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. मीना देवी पुत्री कलो देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
5. सुभाष पुत्र भुरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
6. वेद प्रकाश पुत्र भूरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री भूरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
8. शान्ति पत्नी रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. रामप्रताप पुत्र रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. सन्दीप पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. कमला देवी पुत्री रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. सन्तोष उर्फ फातली पत्नी पप्पू पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल 15–16 केडब्ल्यूडी तहसील नोहर रावतसर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 05/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/27 की कुल 0.280 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/18 के प0न0 359/415(35) के किला न0 3/1 की 0.169 हैक्ट भूमि तथा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 28/30 की कुल 0.6870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि जेठी पत्नी काशीराम व 1/4 हिस्सा भूमि भादर पुत्र काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई [illegible] कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है। जेठी [illegible] काशीराम के 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:32:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लड़के व 3 लड़किया हुई थी जिसमें से भादरराम फौत हो चुका है जिसके कोई वारिस नही है वह लावल्द फौत हो चुका है भादरराम अविवाहित था। जेठी का पुत्र रामेश्वर व पप्पू का भी देहांत हो चुका है रामेश्वर के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 है एवं पप्पू के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादी संख 13 वादीया की माता है तथा जेठी की दो पुत्रीया केला देवी व भुरी का भी देहात हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 है। जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। है। प्रतिवादीया संख्या 13 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 13 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र जेठी, भादरराम, पप्पु तथा सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीया का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है। जेठी पत्नी काशीराम के 5 लड़के व 3 लड़किया हुई थी जिसमें से भादरराम फौत हो चुका है जिसके कोई वारिस नही है वह लावल्द फौत हो चुका है भादरराम अविवाहित था। जेठी का पुत्र रामेश्वर व पप्पू का भी देहांत हो चुका है रामेश्वर के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 है एवं पप्पू के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादी संख 13 वादीया की माता है तथा जेठी की दो पुत्रीया केला देवी व भुरी का भी देहात हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 है। जेठी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:52:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/27 की कुल 0.280 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/18 के प0न0 359/415(35) के किला न0 3/1 की 0.169 हैक्ट भूमि तथा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 28/30 की कुल 0.6870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि जेठी पत्नी काशीराम व 1/4 हिस्सा भूमि भादर पुत्र काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है। जेठी पत्नी काशीराम के 5 लड़के व 3 लड़किया हुई थी जिसमें से भादरराम फौत हो चुका है जिसके कोई वारिस नही है वह लावल्द फौत हो चुका है भादरराम अविवाहित था। जेठी का पुत्र रामेश्वर व पप्पू का भी देहांत हो चुका है रामेश्वर के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 है एवं पप्पू के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादी संख्या 13 वादीया की माता है तथा जेठी की दो पुत्रीया केला देवी व भुरी का भी देहात हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 है। जेठी पत्नी काशीराम व भादरराम पुत्र काशीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 13 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक जेठी के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/27 की कुल 0.280 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/18 के प0न0 359/415(35) के किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:52:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 3/1 की 0.169 हैक्ट चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 28/30 की कुल 0.6870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा जेठी पत्नी काशीराम व 1/4 हिस्सा भूमि में भादर पुत्र काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर इनके स्थान पर वादीया को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को बहिब 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 को 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:52:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 714/2024

अनवान : –

1. सिलोचना उर्फ शीला पुत्री पप्पू पुत्र काशीराम पत्नी गोपाल जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स0 1 गांधी नगर नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. पालाराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बीमा पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. मीना देवी पुत्री कलो देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
5. सुभाष पुत्र भुरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
6. वेद प्रकाश पुत्र भूरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री भूरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका हाल 14 बारानी बारानी तहसील नोहर।
8. शान्ति पत्नी रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. रामप्रताप पुत्र रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. सन्दीप पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. कमला देवी पुत्री रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. सन्तोष उर्फ फातली पत्नी पप्पू पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल 15–16 केडब्ल्यूडी तहसील नोहर रावतसर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 714 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/27 की कुल 0.280 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 22/18 के प0न0 359/415(35) के किला न0 3/1 की 0.169 हैक्ट चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 28/30 की कुल 0.6870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा जेठी पत्नी काशीराम व 1/4 हिस्सा भूमि में भादर पुत्र काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर इनके स्थान पर वादीया को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को बहिब 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 को 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना [illegible] करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/11/2024 [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:52:14 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर